WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265051
CG-DL-E-29072025-265051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

फा. सं. 1-सीए (7)/234/2025.— चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 15(2)(चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है :

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (कर लेखापरीक्षा संख्या की सीमा) दिशानिर्देश, 2025 है ।

2. ये दिशानिर्देश तारीख 01.04.2026 से प्रभावी होंगे ।

3. ये दिशानिर्देश आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की संख्या की सीमा के संबंध में जारी किए जा रहे हैं ।

परिभाषाएँ

4. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए :

(क) "अधिनियम" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 अभिप्रेत है ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ख) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संस्थान का सदस्य है और अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी विधिमान्य व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करता है ।

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित संस्थान की परिषद अभिप्रेत है ।

(घ) "संस्थान" से अधिनियम के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अभिप्रेत है ।

5. अन्य सभी शब्दों और पदों, जिन्हें इसमें प्रयुक्त किया गया है किंतु परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में उनका है ।

6. कोई व्यवसायरत **चार्टर्ड** अकाउंटेट इन दिशानिर्देशों के निबंधनानुसार किसी वित्तीय वर्ष में "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" से अधिक लेखापरीक्षाओं को स्वीकार **और हस्ता**क्षरित **नहीं करेगा ।**

स्पष्टीकरण—यदि इन दिशानिर्देशों के अधीन लेखापरीक्षा समनुदेशनों को स्वीकार तथा उन पर हस्ताक्षर किया जाना भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्षों में किया जाता है तो उस दशा में वह वित्तीय वर्ष, जिसमें रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" की संगणना के लिए विचार में लिया जाएगा ।

7. किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की दशा में, "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" को फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या के रूप में माना जाएगा ।

8. जहां फर्म का कोई भागीदार, व्यसायरत चार्टर्ड अकाउंटेटों की किसी अन्य फर्म या फर्मों का भागीदार भी है, तो ऐसे भागीदार के संबंध में सभी फर्मों के लिए किए जाने वाले कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या कुल मिलाकर "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" से अधिक नहीं होगी ।

9. जहां किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म का कोई भागीदार अपनी व्यष्टिक हैसियत में एक या अधिक कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों को स्वीकार करता है, वहां उसके द्वारा इस प्रकार स्वीकार और हस्ताक्षरित किए गए समनुदेशनों की संख्या कुल मिलाकर "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" से अधिक नहीं होगी।

10. क्रमश: धारा 44कङ, 44कघक और 44कघ के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में धारा 44कख के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन अपेक्षाओं से उद्भूत होने वाले कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों को, इन दिशानिर्देशों के अधीन "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" की संगणना के प्रयोजन से विचार में नहीं लिया जाएगा ।

11. कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षण की दशा में, पुनरीक्षित कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" की संगणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं ली जाएगी ।

12. स्पष्टीकरण :

उपरोक्त प्रयोजन के लिए, "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(क) किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी स्वतवधारी फर्म की दशा में, एक वित्तीय वर्ष में 60 कर लेखापरीक्षा समनुदेशन, चाहे वे निगम या गैर-निगम निर्धारितियों से संबंधित हों ।

(ख) किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म की दशा में, एक वित्तीय वर्ष में, फर्म में प्रति भागीदार 60 कर लेखापरीक्षा समनुदेशन, चाहे वे निगम या गैर-निगम निर्धारितियों से संबंधित हों ।

12.1 "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" की संगणना करते समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा को एक पृथक समनुदेशन के रूप में विचार में लिया जाएगा ।

12.2 "कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की विनिर्दिष्ट संख्या" की संगणना में, ऐसे समनुदेशनों की संख्या, जिन्हें उसने या उसकी फर्म के किसी भागीदार ने स्वीकार किया है, चाहे वे अकेले या किसी अन्य व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी फर्म के साथ संयुक्त रूप से स्वीकार किए गए हों, को विचार में लिया जाएगा ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

12.3 किसी अस्तित्व के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों की लेखापरीक्षा को एकल कर लेखापरीक्षा समनुदेशन समझा जाएगा।

12.4 किसी एक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा समान इकाई की एक या अधिक शाखाओं की लेखापरीक्षा को केवल एक कर लेखापरीक्षा समनुदेशन समझा जाएगा।

12.5 किसी फर्म में अंशकालिक रूप से व्यवसायरत भागीदार के रूप में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फर्म की कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की संगणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

13. कोई व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, परिषद् द्वारा यथाउपबंधित प्ररूप में उसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकार और हस्ताक्षरित किए गए कर लेखापरीक्षा समनुदेशनों का अभिलेख बनाए रखेगा।

ये दिशानिर्देश तारीख 1.4.2026 से इस विषय पर जारी किए गए पूर्ववर्ती सभी दिशानिर्देशों को अधिक्रांत करेंगे। परिषद साधारण दिशानिर्देश, 2008 [परिषद दिशानिर्देश संख्या 1-सीए (7)/02/2008 तारीख 8 अगस्त, 2008] का अध्याय VI तारीख 31.3.2026 तक विधिमान्य बना रहेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन दिशानिर्देशों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो परिषद् किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा परिपत्रों के रूप में, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो, कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./258/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

F. No. 1-CA(7)/234/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 15(2)(fa) of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby makes the following guidelines:

Short title and commencement

1. These guidelines may be called The Chartered Accountants (Limit on Number of Tax Audits) Guidelines, 2025.
2. They shall come into force w.e.f. 01.04.2026 onwards.
3. These Guidelines are issued in respect of limit on number of tax audit assignments under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961.

Definitions

4. For the purpose of these Guidelines:
   (a) 'Act' means the Chartered Accountants Act, 1949.

   (b) "Chartered Accountant in practice" means a person who is a member of the Institute and holds a valid Certificate of Practice issued under Section 6 of the Act.

   (c) "Council" means the Council of the Institute constituted under Section 9 of the Act.

   (d) "Institute" means the Institute of Chartered Accountants of India constituted under the Act.

5. All other words and expressions used but not defined herein have the same meaning as assigned to them under the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules, Regulations made thereunder.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

6. A Chartered Accountant in practice shall not accept and sign, in a financial year, more than the "specified number of tax audit assignments" in terms of these Guidelines.

Explanation – In case acceptance and signing of the audit assignments under these Guidelines are spread over in two different financial years, then, the financial year in which the report is signed will be considered for the "specified number of tax audit assignments".

7. In the case of a firm of Chartered Accountants in practice, the "specified number of tax audit assignments" shall be construed as the specified number of tax audit assignments for each partner of the firm.

8. Where any partner of the firm is also a partner of any other firm or firms of Chartered Accountants in practice, the number of tax audit assignments which may be taken for all the firms put together in relation to such partner shall not exceed the "specified number of tax audit assignments" in the aggregate.

9. Where any partner of a firm of Chartered Accountants in practice accepts one or more tax audit assignments in his individual capacity, the total number of such assignments which may be accepted and signed by him shall not exceed the "specified number of tax audit assignments" in the aggregate.

10. The tax audit assignments arising out of the requirements under clause (c), clause (d) and clause (e) of section 44AB, in relation to persons covered under section 44AE, 44ADA and 44AD, respectively, shall not be taken into account for the purpose of reckoning the "specified number of tax audit assignments" under these Guidelines.

11. In case of revision of tax audit report, the revised tax audit report shall not be taken into account for the purpose of calculating "the specified number of tax audit assignments".

12. Explanation:

For the above purpose, "the specified number of tax audit assignments" means -

(a) in the case of a Chartered Accountant in practice or a proprietary firm of Chartered Accountant, 60 tax audit assignments, in a financial year, whether in respect of corporate or non-corporate assesses.

(b) in the case of firm of Chartered Accountants in practice, 60 tax audit assignments *per* partner in the firm, in a financial year, whether in respect of corporate or non-corporate assesses.

12.1 In computing the "specified number of tax audit assignments", each financial year's audit would be taken as a separate assignment.

12.2 In computing the "specified number of tax audit assignments", the number of such assignments, which he or any partner of his firm has accepted, whether singly or in combination with any other Chartered Accountant in practice or firm of such Chartered Accountants, shall be taken into account.

12.3 The audit of the head office and branch offices of an entity shall be regarded as single tax audit assignment.

12.4 The audit of one or more branches of the same entity by one Chartered Accountant in practice shall be construed as only one tax audit assignment.

12.5 A Chartered Accountant being a part time practicing partner of a firm shall not be taken into account for the purpose of reckoning the tax audit assignments of the firm.

13. A Chartered Accountant in practice shall maintain a record of the tax audit assignments accepted and signed by him in each financial year in the format as may be provided by the Council.

These guidelines shall supercede all earlier guidelines on this subject with effect from 1.4.2026 onwards. Chapter VI of the Council General Guidelines, 2008 [Council Guidelines No.1-CA(7)/02/2008 dated 8th August, 2008] shall continue to be valid till 31.3.2026.

Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Guidelines, the Council may, by general or special order, issue clarification in the form of Circulars as may be necessary or expedient, which is not inconsistent with provisions of the Act, for the purpose of removing the difficulty.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./258/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.